

( राजस्थान-सरकार )

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 44/2023

बउनवान

राज0 सरकार जयें श्री नीरज कुमार नागर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री घनश्याम गोचर पुत्र श्री किशन गोपाल गोचर उम्र 30वर्ष जाति गुर्जर(विक्रेता) निवासी गुर्जरों का मौहल्ला, वार्ड नं. 1 पचेलकलां, जिला बारों(राज.)
2. श्री महावीर प्रसाद गोचर पुत्र श्री रामकिशन गोचर उम्र 40वर्ष जाति गुर्जर(मालिक) निवासी पचेलकलां, बारों मैसर्स महावीर दूध डेयरी, स्टेशन रोड, शिव कॉलोनी, अन्ता जिला बारों
3. मैसर्स महावीर दूध डेयरी, स्टेशन रोड, शिव कॉलोनी, अन्ता जिला बारों

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (11)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :- 1- श्री नीरज कुमार नागर खा.सु.अ. (प्रार्थी)

2- स्वयं उपस्थित (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 11.08.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जयें श्री नीरज कुमार नागर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.02.2023 को मैसर्स महावीर दूध डेयरी, स्टेशन रोड, शिव कॉलोनी, अन्ता जिला बारों पर पहुंचा। वहाँ पर श्री घनश्याम गोचर पुत्र श्री किशन गोपाल गोचर (विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.12.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 24 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ **मिश्रित दूध(खुला)** एक स्टील की टंकी में लगभग 70 लीटर विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **मिश्रित दूध (खुला)** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ **मिश्रित दूध (खुला)** 02 किग्रा एक साफ-सूखी एवं खाली स्टील की भगोनी में वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत 100/- रुपये (अक्षरे सौ रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **मिश्रित दूध(खुला)** को स्टील के भगोने में एकरूप कर चार साफ-सूखी एवं खाली प्लास्टिक की शीशीयों में बराबर-बराबर भरकर प्रत्येक में फार्मलीन की 40-40 बूंद डालकर एयरटाईट बंद किया एवं प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-1684 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-1684 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तों में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री घनश्याम गोचर पुत्र श्री किशन गोपाल गोचर(विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वयं द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/78 दिनांक 22.02.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 120/PHL/Kota/Act/2023/113 दिनांक 16.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मिश्रित दूध(खुला)** धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 26.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्जे रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **मिश्रित दूध(खुला)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक, कोटा की जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि हमारे द्वारा खाद्य पदार्थ **मिश्रित दूध(खुला)** में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। अतः निवेदन है कि हमारे विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही खारिज फरमायी जावे।

**प्रार्थी राजस्थान सरकार** जर्गे खद्य सुरक्षल अधलकरी बररुं दुरलर कहर गयल कल अपुररुथीगण यदल खद्य वलशुलषक, कुतर से प्ररुत कुररुत रलरुतर कुररुक 120/PHL/Kota/Act/2023/113 दलनरंक 16.02.2023 से असनुषुत थल तु अपुररुथीगण कुु जरुगे पतुर सूकलत कलरुत कुकर एक डरहर कल डडड दलरुत गयल थल कल उकुत सेडुडल कल डुनः कुुरुक करवरुगे। कलनुतु अपुररुथीगण दुरलर उकुत सेडुडल कल डुनः कुुरुक नरुही करवरुगी रुरुई है।

**प्रकरण डें उडडडडड कल** अंतलड डडड सुनल रुरुई और डुररवलु कल आदुुडरनुत अवलुकन कलरुत गयल। डुरकरण डें अपुररुथीगण से वरसुते नडुनर कुुरुक हेतु कुरुत कलरुत गयल खद्य डदरुथ डलशुरलत दूध(खुलर) खद्य वलशुलषक, कुतर से प्ररुत कुररुत रलरुतर कुररुक 120/PHL/Kota/Act/2023/113 दलनरंक 16.02.2023 के अनुसुरर, खद्य सुरकुषल एवं डरनक अधलनलडड, 2006 रुरुलस 2011 कल धररल 3(1)(zx) के तहरत अवडरनक(**Substandard**) हुनुनर डररुत गयल। उकुत कुरुतुतु खद्य सुरकुषल एवं डरनक अधलनलडड, 2006 रुरुलस, 2011 कल धररल 26 कल उड धररल 2(11) के तहरत अपुररुध कल शुरेणी डें आतल है कुलसकल कुुरुडरनर खद्य सुरकुषल एवं डरनक अधलनलडड, 2006 रुरुलस, 2011 कल धररल 51 के तहरत अपुररुथीगण कुु कुल कुुरुडरनर ररशल 14,000/- रुरुडडे (अकुषरे कुुदडर हरुतर रुरुडडे) के आरुथलक दणुड से दणुडत कलरुत कुलतल है। अपुररुथीगण उकुत कुुरुडरनर ररशल ई-डलतुर सेवल केनुदुर से कललरन नलकलवरकर, कुुरलरुडे कललरन डेंक डे नलधररलत डद 0210 कलकलतुसल एवं लुक सुवरसुथुतु, 04 लुक सुवरसुथुतु, 800 अनुतु डुररुतलडुतु, 03 खद्य सुरकुषल कलनून के अनुतुरगत अनुकुतल डुरतुर शुलुक आदल डें कुडड करवरकर, कललरन कल डुरतल इस नुतुतुतुतु डे अनुदुर एक डरहर डुरसुतुतु करे।

नलरुणुतु आकु दलनरंक 11.08.2023 कुु डेरे दुरलर खुलुे नुतुतुतुतु डें सुनरुतुतु गयल।

( सतुतुनरररुतुतु आडुडरतु )  
नुतुतुतु नलरुणुतुतु अधलकरी एवं  
अतल0 कुलल डकुलसुतुरेडुतु,  
डररुं (ररकु.)